Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी गुड्डू को हुआ 03 वर्ष का कारावास व 50,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2004 में अभियुक्त गुड्डू पुत्र छोटेलाल निवासी पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत के विरूद्ध थाना दोघट पर मु0अ0सं0 186/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 23.05.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गुड्डू को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना बालैनी **दिनाँक-23.05.2024**

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 80/24 धारा 452/323/308/504 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.05.2024 को थाना बालैनी पर वादी विक्रम सिंह पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-सुरेश व 2-मुकेश पुत्रगण करन सिंह निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत के द्वारा उसके साथ घर में घुस कर मारपीट की गयी, जिससे उसे गम्भीर चोट आयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 80/24 धारा 452/323/308/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 80/24 धारा 452/323/308/504 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुरेश पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।